4/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी उप.। वादी एवं प्रतिवादी का मूल वाद में राजीनामा हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है।

अतः मूल वाद का निस्तारण हो जाने से प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र जो खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलेक्टर, मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner